क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	03/07/23	पत्रावली पेश हुई। वादी मय अधिवक्ता अनुपस्थित। वादी द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत वाद विड्रॉ किए जाने के प्रस्तुत किया गया। शामिल मिसल। वादी को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। प्रार्थी वादी द्वारा कथन किया गया है कि पक्षकारान में आपसी समझाईश से राजीनामा हो गया है। जिससे अब कोई विवाद पक्षकारान में नहीं रहा है एवं वादी/प्रार्थी अब प्रकरण में कोई कार्यवाही आगे नहीं चाहता है। तथा प्रकरण को इसी स्तर पर विड्रॉ करना चाहता है। अतः प्रार्थना स्वीकार किया जाकर प्रार्थी/वादी को वाद विड्रॉ की अनुमति का आदेश पारित फरमाया जावे। प्रार्थी द्वारा स्वयं की पहचान के सम्बन्ध में आधार कार्ड की स्वयं सत्यापित प्रति प्रस्तुत की है तथा प्रार्थी की पहचान प्रार्थी वादी के अधिवक्ता द्वारा भी की गई है। हमने प्रार्थी वादी को सुना। चूंकि स्वयं वादी अब प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहता है तथा वाद को इसी स्तर पर विड्रॉ करना चाहता है। अतः लोक अदालत की भावना के अनुरूप प्रार्थी वादी का

P.T.O.

फर्द अहकाम

न्यायालय ________________________________

भैरूराम ________ बनाम ________ रामकिशन व अन्य

मुकदमा संख्या /वर्ष : ________ 25 /2014 ________

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	03/07/23	प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर वाद वादी विड्रॉ के आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।	
		[signature] उप खण्ड अधिकारी जयपुर (ग्रामीण)	